न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मुकदमा नं0:–56 / 2024 दायर दिनांक:– 15.05.2024

जीसीएमएस आई0डी0:–2024 / 146

1.	मनोज पिसरान प्रेमसिंह	जाति जाटव, निवासी घौंसला, तहसील हिण्डौन
2.	लवकुश पिसरान प्रेमसिंह	जिला करौली, राजस्थान ————————सायलान

बनाम

1. सजनी देवी पत्नि लेखा जाति जाटव निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन
2. निरमा कुमारी पुत्री प्रेमसिंह धर्म पत्नि योगेश कुमार, जाति जाटव, हाल निवासी कारवाडियान का पुरा गाजीपुर तहसील महवा जिला दौसा राज0
3. सब रजिस्ट्रार महोदय, उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, राजस्थान
4. तहसीलदार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसील हिण्डौन जिला करौली—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायलान

2. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट गैरसायलान 1, 2

निर्णय दिनांक :– 15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि गैरसायलान के विरुद्ध दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा व घोषित करने नल एण्ड बॉईड व प्रभावहीन दानपत्र तारीखी 08.12.2023 सजनी देवी बहक निरमा कुमारी का पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायल सं. 1 व 2, गैरसायल सं. 1 के नाती (पुत्र के पुत्र) हैं तथा गैरसायल सं. 2, गैरसायल सं. 1 की नातनी (पुत्र की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

पुत्री) है तथा सायलान व गैरसायल सं. 2 का पिता प्रेमसिंह पुलिस विभाग में सर्विस करता था तथा सायलान, गैरसायल सं. 1 व 2 शुरु से ही संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे तथा सायलान व गैरसायल सं. 2 के पिता प्रेमसिंह का गैरसायल सं. 1 से विशेष स्नेह था तथा प्रेमसिंह गैरसायल सं. 1 को अपने पास ही रखता था जबकि गैरसायल सं. 1 के दो पुत्र रघुवीर व रामदयाल और थे जिनके पास गैरसायल सं. 1 कभी भी नहीं रही।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 1997 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके तन ग्राम घौसला, तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा सायलान व गैरसायल सं. 2 के पिता प्रेमसिंह ने अपने सर्विस की कमाई से सन् 2004 में उम्मेदसिंह, बहादुरसिंह पिसरान गणपत सिंह, जाति राजपूत से क्रय किया था जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रेमसिंह ने अपनी माँ गैरसायल सं. 1 सजनी देवी के नाम करवाया था तथा जरिये नामान्तकरण सं. 308 दिनांक 08.09.2004 के जरिये उक्त आराजीयात गैरसायल सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरसायल सं. 1 का नाम अमल दरामद हो गया।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रेमसिंह की दो पत्नियॉ थी, पहली पत्नि गुड्डी थी जिससे गैरसायल सं. 2 को जन्म दिया गया था तथा गुड्डी की मृत्यू हो जाने के पश्चात् सायलान के पिता प्रेमसिंह ने आशा से शादी की थी जिससे सायलान पैदा हुए, लेकिन शादी के पश्चात् ही सायलान की मॉ आशा देवी व सायलान के पिता प्रेमसिंह के मध्य आपसी मतभेद होने के कारण मुकदमेंबाजी हो गई तथा सायलान की मॉ आशा देवी अपने पीहर में रहती थी तथा सायलान व गैरसायल सं. 1 व 2 व प्रेमसिंह एक साथ रहते थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नं. 1997 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम घौसला, तहसील हिण्डौन सिटी के 1/2 भाग की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सायलान के पिता प्रेमसिंह का सायलान की माँ आशा देवी से विवाद होने के कारण उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आशा देवी के नाम नहीं करवाकर पिता प्रेमसिंह ने अपनी माँ सजनी देवी के नाम करवाया था जबकि उक्त भूमि क्रय करने की समस्त राशि सायलान के पिता प्रेमसिंह ने ही अदा की थी तथा सायलान की दादी सजनी देवी के पास न तो आय का कोई जरिया था और ना ही सजनी देवी उक्त भूमि को क्रय कर सकती थी तथा सजनी देवी के दो और पुत्र रघुवीर, रामदयाल की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ नहीं थी तथा रघुवीर व रामदयाल अपनी माँ सजनी देवी का भी भरण–पोषण करने में असमर्थ थे, इस प्रकार सायलान के पिता प्रेमसिंह ने अपनी सर्विस की आय से उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

कय की थी। इस प्रकार उक्त भूमि पर सायलान का पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण कानूनी अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि कि सायलान के पिता प्रेमसिंह ने केन्द्रीय कारागार सेवर, भरतपुर में पदस्थापित रहते हुए तथा लगभग 32 वर्ष की सर्विस देने के पश्चात् 52 वर्ष की आयु में अपनी माँ सजनी देवी के वृद्ध होने के कारण व बीमारी से ग्रसित होने के कारण घर पर उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी सदस्य नहीं होने के कारण स्वेच्छा से दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्ति ले ली थी तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् सायलान व गैरसायल सं. 1 एक साथ कभी घौसला तो कभी अपने मकान हिण्डौन सिटी में निवास करते थे।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि कि सायलान के पिता प्रेमसिंह के स्वेच्छा से सन् 2022 में सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात् दिनांक 02.09.2022 को सायलान की मॉ आशा व पिता प्रेमसिंह के बीच राजीनामा हो गया था तथा सायलान की माँ आशा व पिता प्रेमसिंह, सायलान की दादी सजनी देवी एक साथ ही निवास करते थे तथा सायलान की माँ आशा व पिता प्रेमसिंह के मध्य मधुर सम्बंध हो गये थे लेकिन सायलान के पिता प्रेमसिंह का दिनांक 13.08.2023 को ह्रदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हो गया तथा सायलान के पिता प्रेमसिंह अपनी मॉ गैरसायल सं. 1 सजनी देवी की भी ज्यादा दिनों तक सेवा–सुश्रुवा नहीं कर पाया तथा सायलान के पिता प्रेमसिंह का दिनांक 13.08. 2023 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् सायलान के ताऊ रघुवीर, व चाचा रामदयाल की नीयत सायलान के पिता प्रेमसिंह द्वारा अपनी मॉ सजनी देवी के नाम कय की गई भूमि को हडपने की हो गई तथा सायलान के ताऊ रघुवीर, चाचा रामदयाल ने गैरसायल सं. 1 के साथ आपसी षडयंत्र रचकर तथा गैरसायल सं. 1 को मुगालते में लेकर उक्त आराजी का रजिस्टर्ड दानपत्र गैरसायल सं. 2 के हक में दिनांक 08.12.2023 को करवा दिया जो उपपंजीयक कार्यालय हिण्डौन सिटी में पुस्तिक सं. 1 जिल्द सं. 451 में पृष्ठ सं. 158 क.सं. 202303112103370 पर पंजीबद्ध किया था तथा अतिरिक्त पुस्तिक सं. 1 जिल्द सं. 1438 के पृष्ठ सं. 93 से 104 पर चस्पा किया गया है तथा उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर उक्त आराजीयात का गैरसायल सं. 2 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया तथा उक्त दान पत्र गैरसायल सं. 1 ने गैरसायल सं. 2 के खिलाफ बिना किसी कानूनी अधिकारी के करवाया गया है जो निम्नलिखित आधारों पर निरस्त करने योग्य है :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

A- यह कि उक्त दानपत्र दिनांक 08.12.2023 सजनी बहक निरमा देवी विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

B- यह कि उक्त भूमि खसरा नं. 1997 का 1/2 भाग सायलान के पिता प्रेमसिंह ने अपनी सर्विस की आय से कय की थी लेकिन सायलान की मॉ आशा देवी व पिता प्रेमसिंह के मध्य विवाद होने के कारण तथा पंयीजन शुल्क में बचत होने की वजह से उक्त विक्रय पत्र को सायलान के पिता प्रेमसिंह ने अपनी मॉ सजनी देवी के नाम पंजीबद्ध करवा दिया जबकि सजनी देवी द्वारा उक्त भूमि कय करने में कोई राशि खर्च नहीं की गई थी।

C- यह कि उक्त भूमि सायलान के पिता प्रेमसिंह के द्वारा अपनी मॉ सजनी देवी के नाम कय करने कारण उक्त भूमि सायलान की पैत्रिक भूमि होने के कारण सायलान का बाई बर्थ (जन्म से) कानूनी हिस्सा है जिसे गैरसायल सं. 1 को गैरसायल सं. 2 के नाम सम्पूर्ण हिस्से को दानपत्र करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए उक्त दानपत्र निरस्त करने योग्य है।

D- यह कि गैरसायल सं. 1 द्वारा उक्त दानपत्र गैरसायल सं. 2 के हक में दानपत्र कराते वक्त न तो सायलान को कोई जानकारी थी और ना ही सायलान की मॉ आशा देवी को कोई जानकारी थी तथा उक्त दानपत्र सायलान के ताऊ रघुवीर व चाचा रामदयाल ने सायलान को हरेशमेन्ट करने व सायलान को नुकसान पहुँचाने के कारण गैरसायल सं. 1 को बहला–फुसलाकर गैरसायल सं. 2 के हक में करवाया है जो बखिलाफ सायलान निरस्त करने योग्य है।

E- यह कि गैरसायल सं. 2 निरमा कुमारी सायलान की सौतेली बहिन है जो सायलान को हमेशा नुकसान पहुँचाने की फिराक में रहती है तथा गैरसायल सं. 2 से सायलान के ताऊ रघुवीर व चाचा रामदयाल उक्त भूमि को अपने नाम औने–पौने दामों में खरीदकर सायलान को अपनी पैत्रिक आराजीयात से जो अपने पिता की आय से अर्जित की गई है, बेदखल करने के कारण व गैरसायल सं. 1 से साज कर गैरसायल सं. 2 के नाम आपराधिक षडयन्त्र रचकर उक्त दानपत्र तस्दीक कराया गया है जो बिना किसी कानूनी अधिकार के होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

F- यह कि गैरसायल सं. 1 आज भी सायलान व सायलान की मॉ आशा देवी के साथ हिण्डौन सिटी मकान में रहती है तथा आज भी सायलान व सायलान की मॉ आशा देवी गैरसायल सं. 1 की सेवा–सुश्रुवा कर रहे हैं लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

गैरसायल सं. 2 ने अपने ताऊ रघुवीर व रामदयाल से मिलकर गैरसायल सं. 1 की बिना स्वतंत्र सहमति उक्त दानपत्र तस्दीक करवाया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

G- यह कि गैरसायल सं. 1 द्वारा गैरसायल सं. 2 के हक में उक्त दानपत्र तस्दीक कराते वक्त उम्र 83 साल की थी तथा गैरसायल सं. 1 की सोचने समझने, चलने व फिरने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है लेकिन गैरसायल सं. 2 द्वारा अपने ताऊ रघुवीर व चाचा रामदयाल को फायदा पहुँचाने की नीयत से सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारीयो से साज कर गैरसायल सं. 1 को उक्त दानपत्र के बारे में बिना समझाये, उक्त दानपत्र तस्दीक करवाया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

H- यह कि उक्त दानपत्र के गवाह गैरसायल सं. 2 के ताऊ रघुवीर व चाचा रामदयाल गैरसायल सं. 2 के हितबद्ध गवाह हैं तथा अपने पिता की आय से अर्जित की गई है, बेदखल करने के कारण व गैरसायल सं. 1 से साज कर गैरसायल सं. 2 के नाम आपराधिक षडयन्त्र रचकर उक्त दानपत्र तस्दीक कराया गया है जो बिना किसी कानूनी अधिकार के होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तथा उक्त दानपत्र को तस्दीक कराते वक्त कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था इसलिए उक्त दानपत्र निरस्त करने योग्य है।

I. यह कि उक्त भूमि सायलान के पिता प्रेमसिंह की आय से कय की थी तथा सायलान व गैरसायल सं. 2 की पैत्रिक भूमि होने के कारण गैरसायल सं. 2 को उक्त भूमि खसरा नं. 1997 रकबा 0.44 हैक्टेयर के 1/2 भाग का 1/6 हिस्सा ही गैरसायल सं. 2 के हक में दानपत्र करने का कानूनी अधिकार प्राप्त था लेकिन गैरसायल सं. 1 ने गैरसायल सं. 2 के हक में अपने नॉशनल शेयर 1/6 हिस्से से अधिक भूमि का दानपत्र करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था इसलिए उक्त दानपत्र निरस्त करने योग्य है।

J- यह कि उक्त आराजीयात पर सायलान का ही कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है तथा बिना कब्जे के हस्तानान्तरण उक्त दानपत्र विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि उक्त फर्जी व नुमाईशी दानपत्र के आधार पर आराजी खसरा नं. 1997 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम घौसला, के 1/2 भाग की खातेदारी गैरसायल सं. 2 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गई है तथा गैरसायल सं. 2 सायलान की उक्त कब्जेशुदा भूमि को दीगर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

व्यक्ति को रहन–व्यय करने को आमादा हो रही है जिसका गैरसायल सं. 2 को कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं. 2 ने उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति हो रहन–व्यय कर दिया व सायलान को अपने पैत्रिक आराजीयात से वंचित कर दिया तो सायलान को गाँव छोडकर निकलना पडेगा, सायलान भूखे मर जायेगें, पक्षकारान में मुकदमेंबाजी बढेगी तथा सायलान बर्बाद हो जायेगें तथा सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में भी संभव नही है, इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 11.04.2024 को सुबह 9 बजे का है कि सायलान अपने मॉ आशा देवी के साथ उक्त आराजी में उगे हुए झाडीयों व कॉटों की सफाई कर रहे थे तब मौके पर गैरसायल सं. 2 अपने ताऊ रघुवीर व चाचा रामदयाल को लेकर मौके पर आ गई तथा सायलान व सायलान की मॉ आशा से कहा कि तुम अब इस खेत की सफाई मत की भूमि को अब दीगर व्यक्तियों को बेचान करूँगी तथा तुम्हें बेदखल करूँगी तब सायलान ने कहा कि ये भूमि हमारे पिताजी के हाथ से क्रय की गई है तथा इस भूमि को पिताजी के समय से ही हम काश्त करते चले आ रहे है, तुम हमें बेदखल क्यों करोगी तब गैरसायल सं. 2 ने कहा कि मैनें उक्त भूमि को गैरसायल सं. 1 व ताऊ रघुवीर व चाचा रामदयाल से साज कर अपने नाम रजिस्टर्ड दानपत्र करवा लिया है तथा उक्त भूमि की खातेदारी मेरे नाम दर्ज हो गई है तब सायलान को बडा आश्चर्य हुआ तब सायलान की माँ ने दिनांक 12.04.2023 को उक्त दानपत्र की नकल ली तथा जमाबन्दी की नकल लेने पर पता चला कि वास्तव में ही उक्त भूमि गैरसायल सं. 2 की खातेदारी में दर्ज हो गई है तब सायलान ने गैरसायल सं. 2 से कहा कि बहिन हमारे साथ अन्याय मत करो, हमारे ऊपर से तो भगवान ने ही पिता का सहारा उठा लिया है तथा हम बेसहारा हो गये हैं लेकिन गैरसायल सं. 2 ने सायलान की सौतेली बहिन होने के कारण सायलान की एक भी नहीं सुनी तथा सायलान को उक्त भूमि से बेदखल करने की स्पष्ट धमकी दी, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि कि सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूर्णयीय क्षति का बिन्दू भी बखूबी साबित है तथा गैरसायलान को पाबंद करने में गैरसायलान को किसी प्रकार की क्षति नहीं है इसलिए सुविधा का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

संतुलन व अपूर्तनीय क्षति गैरसायलान के पक्ष में नहीं होकर सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावें कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम घौसला, तहसील हिण्डौन सिटी में सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा गैरसायलान उक्त आराजी को रहन व्यय नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे विपरीत प्रभाव पडे तथ मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.06.2024 को गैरसायलान सं0 1 ता 2 की ओर से श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। दिनांक 04.09.2025 को गैरसायलान सं0 3 ता 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायलान सं0 1 ता 2 के अधिवक्ता ने दिनांक 30.05.2025 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं०1 में दावा पेश होना स्वीकार है, लेकिन सायलान को उक्त दावे मे सफलता मिलने के आसार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 मे इवारत सायल सं० 1, 2 एवम् गैरसायल 2 गैरसायल सं० 1 के नाती नातिन होना स्वीकार है। बकिया इबारत गलत होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल सं०1 कभी भी सायलान अथवा उनके पिता प्रेमसिंह के साथ नहीं रही, और नाही उनका संयुक्त परिवार रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं०3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजी कनं० 1997 रकबा 44 ऐयर बाके ग्राम घौंसला का 1/2 हिस्सा सायलान एवं गैरसायलान सं02 के पिता प्रेमसिंह ने अपनी सर्विस की कमाई से गैरसायल से०1 के नाम से नही खरीदी । उक्त भूमि गैरसायल सं०1 ने अपनी जमापूंजी एवं स्त्रीधन से खरीदी है। जिसका रजिस्टर्ड बयनामा से नियमानुसार गैरसायलान सं0 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक होकर गैरसायलसं० 1 के नाम खातेदारी हुई है। उक्त भूमि गैरसायल सं०1 की स्वअर्जित भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं 4 मे दर्ज इबारत प्रेमसिंह की दो पत्नि होना तथा प्रेमसिंह की पत्नि गुडड़ी से गैरसायल सं0 2 का जन्म होना तथा गुड्डी की मृत्यु के बाद प्रेमसिंह द्वारा आशा से शादी करना, तथा आशा से सायल का पैदा होना स्वीकार है। आशा देवी एवम् प्रेमसिंह के मध्य मुकदमाबाजी होना स्वीकार है। लेकिन सायलान एवम् गैरसायलान कभी भी साथ नही रहे, और नाही उनका संयुक्त परिवार रहा ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं० 5 में दर्ज सभी बातें गलत एवम् मनगढन्त दर्ज की है। विवादित भूमि सायलान के पिता प्रेमसिंह ने सर्विस की आय से गैरसायन सं०1 के नाम नही खरीदी बल्कि विवादित भूमि गैरसायन सं०1 ने अपनी जमापूंजी व स्त्रीधन से खरीदी है। उक्त भूमि गैरसायल है। की स्वअर्जित भूमि है। जो उसने अपनी जमापूंजी एवं स्त्रीधन से खरीदी है। जो उसने नियमानुसार गैरसायल सं०2 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से दी है जिसकी खातेदारी गैरसायल सं०1 के स्थान पर गैरसायल सं० 2 के नाम हो गयी है। तथा जिस पर गैरसायल सं०2 का कब्जाकाश्त है। विवादित भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है, और नाही उक्त भूमि में सायलान का कोई कानूनन अधिकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायलान के पिता सेवानिवृति के बाद गैरसायल सं०1 के साथ कभी भी ग्राम में नहीं रहा, बल्कि सेवानिवृति के बाद कस्बा शहर हिण्डौन में राज नगर जाटव बस्ती हिण्डौन में अपनी ससुराल वालो के पास बाल बच्चो सहित रहने लग गया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। सायलान के पिता का सायलान की माँ आशा के साथ राजीनामा होने से सायलान ने हिण्डौन सिटी जाटव वस्ती में सुसर के पास मकान बनवाया तथा हिण्डौन मे ही सायलान एवम् पत्नि आशा के साथ रहने लग गया। गैरसायलान सं० 1 व 2 भी प्रेमसिंह के साथ नही रहे तथा प्रेमसिंह ने कभी भी गैरसायलान सं०1 की सेवा सुधा नहीं की। सायलान के ताऊ रघुवीर व रामदयाल की नियत कभी भी सजनी देवी की भूमि को हड़पने की नहीं रही है। गैरसायलान नं0 1 सजनी देवी ने अपनी स्वअर्जित भूमि का दान पत्र 8.12.2023 को गैरसायल सं. 2 के हक में बिना किसी दवाब के स्वेच्छा से तहरीर व तकमील कराकर सब रजिस्ट्रार हिण्डौन है तस्दीक कराया है। उक्त दान पत्र के आधार से नियमानुसार गैरसायल सं० 2 के हक में नामान्तकरण तस्दीक होकर गैरसायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

सं. 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे हो गयी है। जिस पर उसी दिन से गैरसायन सं० 2 काबिज काश्त है। सायलान हिण्डौन में रहते है। उक्त भूमि से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, नाही सायलान का उक्त भूमि के किसी भाग पर कब्जा है। सायलान ने प्रार्थनापत्र के मद नं 7 के उपमद ऐसेज में जो इबारत दर्ज की है। जो गलत एवम् विधि विरूद्ध है। उक्तदान पत्र स्वअर्जित भूमि का है। तथा दान पत्र रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड दान पत्र को निरस्त करने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। दावा व संबंधित प्रार्थनापत्र बाई बाई लॉ होने के कारण अदालत हाजा में चलने योग्य नही है। तथा खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 8 गलत होने के कारण अस्वीकार है। तथाकथित दान–पत्र स्वार्जित भूमि का रजिस्टर्ड दान–पत्र है तथा रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर ही नियमानुसार गैर सायल 2 के नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी के इन्द्राज हुये है। तथा उक्त भूमि पर गैरसायल सं० 2 काबिज काश्त है। गैरसायल सं ०2 ही अपनी देखरेख उक्तभूमि को निरंतर काश्त करवा रही है। तथा अपना पालन पौषण कर रही है। गैरसायल सं० 2 का विवादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को बेचने का अथवा रहन रखाने का कोई इरादा नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 9 गलत होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल संख्या 2 अपनी खातेदारी की उक्त भूमि को किसी को हस्तान्तरणा करने की फिराक मे नही है। सायलान का उक्त भूमि में कोई हक नहीं है। उक्त भूमि विवादित भूमि पुश्तैनी नही है। सायलान शुरु से ही हिण्डौन में पिता प्रेमसिंह द्वारा बनाये मकानमे रहते है। सायलान व उनकी मां ने फोर्जरी कर रिटायडमेन्ट की राशि 35,00,000/– रू0 एवम् बीमा की 5,00,000/– रु० राशि गुपचुप तरीके से लेकर आराम से हिण्डौन में ही अपनी ननिहाल वालो के पास ही रह रहे है। सायलान को किसी प्रकार की क्षति नहीं है। सायलान ने गलत तथ्य दर्ज कर मुकदमा हाजा पेश किया जो चलने योग्य नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 10 गलत होने के कारस अस्वीकार है। दिनाक 11.04.2024 को सायलान अपनी मां आशा के साथ खेतो पर नहीं गये । और नाही सायलान व गैरसायल सं० 2 के मध्य कोई बातचीत हुई और नाही कोई गैरसायलान ने किसी प्रकार की कोई धमकी दी।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं० 11 जिस प्रकार तहरीर किया गया है. गलत है, अस्वीकार है। सायलान के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त बाखूबी साबित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि आराजी ख0नं0 1997 रख्या 44 ऐयर बाके ग्राम घौंसला के 1/2 हिस्से की गैरसायन सं० 1 खातेदार काश्तकार है। जो उसकी स्वअर्जित भूमि है। गैरसायल सं०1 ने गैरसायल सं0 2 के हक में अपनी स्वअर्जित खातेदारी की चुकते हिस्से की भूमि का दानपत्र दि. 08.12.2023 को गैरसायन सं० 2 के हक में नियमानुसार दान पत्र रजिस्टर्ड करा दिया तथा तस्दीक करा दिया। तथा कब्जा दे दिया। तथा अब उक्त भूमि दान पत्र के आधार पर गैरसायन सं० 2 के खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे हो गयी है त्था उक्त भूमि पर गैरसायल सं० 2 मौके पर काबिज एवम् काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि रजिस्टर्ड दान पत्र दिनाक 08.12.2023 को केन्सिल करने का अधिकार सिविल कोर्ट को ही है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दान पत्र को केन्सिल करने का श्रवणधिकार नहीं है। इसलिये दावा हाजा व प्रार्थनापत्र हाजा बार्ड बाई लॉ होने के कारण अदालत हाजा मे चलने योग्य नहीं है तथा काबिजे खारिज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हार्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति दान पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 08.12.2023 उनवानी सजनी देवी पत्नि श्री लेखा जाति जाटव निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन जिला करौली– दानदाता प्रथमपक्ष बहक निरमा कुमारी पुत्री श्री प्रेमसिंह धर्म पत्नि श्री योगेश कुमार जाटव जाति जाटव हाल निवासी कारवाडियान का पुरा, गाजीपुर तहसील महुवा जिला दौसा – दान ग्रहिता द्वितीय पक्ष, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068, फोटो प्रति शपथ पत्र 100/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रेमसिंह कॉस्टेबल नम्बर 591 जी कम्पनी 13 वीं बटालियन आरऐसी चैनपुरा जयपुर दिनांक 03.10.2022, फोटो प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 08107002000000200370/2023 जारी दिनांक 23.08.2023, मृत्यु दिनांक 13.08.2023 प्रेमसिंह पुत्र लेखाराम, माता का नाम सजनी, पत्नि का नाम आशा देवी, निवासी राज नगर जाटव बस्ती हिण्डौन जिला करौली राजस्थान पेश की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुखचन्द पुत्र गुट्ठल हि0 1/2 जाति गुजर, उम्मेदसिंह बहादुरसिंह पि0 गणपतसिंह जाति राजपूत हि0 1/2 सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 308 दिनांक 08.09.2004 विक्रय से खाते में उम्मेदसिंह बहादुरसिंह पि0 गणपतसिंह जाति राजपूत हि0 1/2 के बजाय श्रीमती सजनी देवी धर्म पत्नि लेखा जाति जाटव हि0 1/2 के नाम अंकन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन की खातेदारी निरमा कुमार पुत्री प्रेम सिंह धर्म पत्नि योगेश कुमार जाटव हिस्सा 1/2 जाति जाटव हाल निवासी कारवाडियान का पुरा गाजीपुर तहसील महवा जिला दौसा खातेदार, बदन सिंह पुत्र सुखचन्द हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, भगवान सिंह पुत्र सुखचन्द हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, लखनवाई पुत्री सुखचन्द हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, हंशिया पत्नि सुखचन्द हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति दान पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 08.12.2023 उनवानी सजनी देवी पत्नि श्री लेखा उम्र 83 साल जाति जाटव निवासी घौंसला तहसील हिण्डौन जिला करौली– दानदाता प्रथमपक्ष बहक निरमा कुमारी पुत्री श्री प्रेमसिंह धर्म पत्नि श्री योगेश कुमार जाटव उम्र 23 साल जाति जाटव हाल निवासी कारवाडियान का पुरा, गाजीपुर तहसील महुवा जिला दौसा – दान ग्रहिता द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम घौसला तहसील हिण्डौन में दानदाता सजनीदेवी ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को दानग्रहिता द्वितीय पक्ष निरमा कुमारी के हक में दान दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

गई है तथा दान दी गई भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर दानग्रहिता को संभलाना अंकित किया है।

फोटो प्रति शपथ पत्र 100/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रेमसिंह कॉस्टेबल नम्बर 591 जी कम्पनी 13 वीं बटालियन आरऐसी चैनपुरा जयपुर दिनांक 03.10.2022 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मैं वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह सेवर, भरतपुर में पदस्थापित हूँ, मुझे उक्त विभाग में सेवाऐं देते हुए लगभग 32 वर्ष का समय हो चुका है। मेरी आयु वर्तमान में 52 वर्ष हो चुकी है तथा मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता है तथा मेरी माताजी वृद्ध होने के कारण बीमारी से ग्रसित रहती है। घर पर उनकी देखरेख के लिए मेरे अलावा कोई भी सदस्य नहीं है। इसलिए मै अपनी पारिवारिक व स्वंय के स्वास्थ्य की समस्या को देखते हुए अपने उक्त पद से स्वेच्छा से सेवानिवृति लेना चाहता हूँ। सेवानिवृति बाबत् मुझ पर किसी भी व्यक्ति अथवा विभाग का कोई दबाव किसी प्रकार का नहीं है। मैं विभाग से स्वेच्छा से सेवानिवृति लेने बाबत् अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन में गैरसायल सं02 उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर हिस्सा 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन के हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को खातेदार उम्मेदसिंह बहादुरसिंह पि0 गणपतसिंह जाति राजपूत से श्रीमती सजनी देवी धर्म पत्नि लेखा जाति जाटव के द्वारा वर्ष 2004 में क्रय किया गया था उस वक्त श्रीमती सजनी देवी की आयु लगभग 65 वर्ष थी। सायलान का कथन है कि उक्त भूमि की खरीद उनके पिता के द्वारा की गयी थी। विक्रय धन राशि सायलान के पिता प्रेमसिंह के द्वारा अदा की गयी थी। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। सायलान का दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)